दिनांक:03.08.2026

-प्रेस नोट-

!! सहारनपुर पुलिस की नशे के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले 05 नशा तस्कर अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 171 पव्वे/फ्रुटी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाकर कडी कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान अवैध शराब की तस्करी/बिक्री करने वाले 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस कार्यवाही का विवरणः

इसी क्रम में दिनांक 11.11.2025 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी/बिक्री करने वाले कुल ***05 नशा तस्कर अभियुक्तगण*** *गिरफ्तार*

- ***1. अभियुक्ता बानो पत्नी आदिल निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *को फिरोजाबाद से मार्ग से पाँजबांगर जाने वाले रास्ते पर स्थित ट्यूबवैल से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के कब्जे से कुल 35 पव्वे/फ्रुटी देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर* ***मु0अ0सं0 274/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम*** *पंजीकृत किया गया ।*
- ***2. अभियुक्ता अफसाना पत्नी बहाव निवासी ग्राम शाहपुरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर व 3. अभियुक्ता मोहसीना पत्नी मनव्वर निवासी ग्राम शाहपुरा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *को फिरोजाबाद रोड से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ताओ के कब्जे से कुल 34 व 36 पव्वे/फ्रुटी देशी शराब अंगूरी मार्का उ0प्र0 बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर* ***मु0अ0सं0 275/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम*** *पंजीकृत किया गया ।*
- ***4. अभियुक्ता कुसुम पत्नि पाला निवासी छोटी पठेड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर जनपद सहारनपुर व 5. अभियुक्त नेहरू पुत्र भरतू निवासी ग्राम छोटी पठेड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*** *को कच्चा पक्का दुमझेडा से धौलाहेडी मार्ग की ओर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से क्रमशः 32-34 पव्वे/फ्रुटी देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर* ***मु0अ0सं0-276/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम*** *के पंजीकृत किया गया ।*

अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. *बानो पत्नी आदिल निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*
2. *अफसाना पत्नी बहाव निवासी ग्राम शाहपुरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
3. *मोहसीना पत्नी मनव्वर निवासी ग्राम शाहपुरा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*
4. *नेहरू पुत्र भरतू निवासी ग्राम छोटी पठेड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
5. *कुसुम पत्नि पाला निवासी छोटी पठेड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर जनपद सहारनपुर*

बरामदगी का विवरणः-

- कुल 171 पव्वे/फ्रुटी देशी शराब महबूबा/अंगूरी उ0प्र0 मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1- थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2- उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3- उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4- उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5- म0है0का0 1053 ज्योति रानी चिलकाना जनपद सहारनपुर
6- का0 1700 दीपक कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
7- का0 586 निखिल कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
8- का0 2549 जिम्मी सागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
9- का0 606 अनुज कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
10- म0का0 654 अंजली शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
11- म0का0 683 अंशू थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक 03.08.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 110 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशा तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.08.2026 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र नईम निवासी देहरादून चौक चार खम्भो वाली गली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को मण्डी समिति परिसर मे सब्जी मण्डी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त **मुस्तकीम** के कब्जे से कुल 110 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 401/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुस्तकीम पुत्र नईम निवासी देहरादून चौक चार खम्भो वाली गली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *कुल 110 ग्राम अवैध चरस*

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 163/2025 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 235 विनीत कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1245 अंशुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक- 03.08.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था सुचारू रखने व बिना वैध प्रपत्रों के अवैध रूप से परिवहन करने वाले 05 वाहनो को किया गया सीज

अवगत कराना है कि श्रीमान जिलाधिकारी सहारनरपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में श्रावण मास के प्रथम सोमवार को दृष्टिगत रखते हुए कांवड़ यात्रा को दुर्घटना रहित एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से कांवड़ यात्रा मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस कार्यवाही का विवरणः-

1. ***दिनांक 03.08.2026*** *को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा कांवड़ मार्ग पर दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान अंबाला–यमुनानगर (हरियाणा राज्य) की ओर से आ रहे दो पिकअप वाहन संख्या UP11 ET 0041 एवं UP11 DT 9409 को रोककर चेक किया गया। चेकिंग के दौरान दोनों पिकअप वाहनों में मुर्गे भरे पाए गए। श्रावण मास में मांस विक्रय एवं परिवहन संबंधी प्रतिबंधों के दृष्टिगत वाहनों की गहन जांच की गई, जिसमें दोनों वाहन चालकों के पास वाहन से संबंधित आवश्यक वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं पाए गए । आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण थाना चिलकाना पुलिस द्वारा दोनों पिकअप वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के अंतर्गत* ***सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया*** *।इस प्रकरण में राजस्व विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है ।*
2. ***आज दिनाँक 03.08.26 को*** *कांवड़ मार्ग पर दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के दृष्टिगत सघन वाहन चेकिंग के दौरान 03 ट्रेक्टर ट्राली (बिना नम्बर प्लेट के मिट्टी से भरे), को रोककर चेक किया गया। चेकिंग के दौरान ट्रेक्टर चालको द्वारा ट्रेक्टर के कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नही कराये गये । श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर द्वारा कावड यात्रा के दृष्टिगत खनन सम्बन्धी वाहनो पर दिनाँक 29-30/07/2026 से 11.08.26 की रात्रि तक पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया है । उपरोक्त तीनो ट्रेक्टर को बिना नम्बर प्लेट लगाकर ट्रेक्टर की ट्राली मे मिट्टी भरकर परिवहन करते पाये जाने पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के अंतर्गत* ***सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया*** *। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है ।*

सीज वाहनों का विवरणः-

(1) पिकअप - UP11 ET 0041 (मुर्गे भरे पाये गये)
(2) पिकअप UP11 DT 9409 (मुर्गे भरे पाये गये)
(3) ट्रेक्टर महेन्द्रा बिना नम्बर प्लेट चैचिस नं0- MBNGAALF2PRH03746 (मिट्टी भरे)
(4) ट्रेक्टर महेन्द्रा बिना नम्बर प्लेट चैचिस नं0- NCLT15923 (मिट्टी भरे)
(5) ट्रेक्टर सोनालीका बिना नम्बर प्लेट चैचिस नं0- - KZ0SJ1242578S3 (मिट्टी भरे)

सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
3. है0का0 843 विवेक कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
4. का0 978 विपिन नैन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक- 03.08.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस का सेवा एवं समर्पण का सराहनीय प्रयास, थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा तत्परता से अस्वस्थ कांवड़ यात्री को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराकर एम्बुलेंस से पीजीआई पिलखनी हेतु रवाना किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी यातायात के निकट पर्यवेक्षण में कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में पवित्र श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सहारनपुर पुलिस निरंतर सेवा भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है।

इसी क्रम में ***आज दिनांक 03.08.2026 को थाना प्रभारी कुतुबशेर श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में सब सेक्टर-18 पर ड्यूटी कर रहे उप निरीक्षक अभिषेक वशिष्ठ, रिक्रूट कांस्टेबल 2594 विष्णुकांत एवं रिक्रूट कांस्टेबल 1381 अजय कुमार द्वारा भावपुर पुलिया के निकट ड्यूटी के दौरान एक कांवड़ यात्री आकाश पुत्र अमरजीत, निवासी पानीपत (हरियाणा) की अचानक तबीयत खराब होने की सूचना प्राप्त*** *हुई।*

सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची तथा कांवड़ यात्री की स्थिति का आकलन कर बिना विलंब एंबुलेंस की व्यवस्था कराई। प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराते हुए कांवड़ यात्री को एंबुलेंस के माध्यम से पीजीआई पिलखनी उपचार हेतु सकुशल रवाना कराया गया, जहां उसका चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार कराया जा रहा है।

कांवड़ यात्री एवं उसके साथियों ने समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई एवं संवेदनशील व्यवहार की स्थानीय लोगों एवं श्रद्धालुओं द्वारा भी सराहना की गई।

सहारनपुर पुलिस कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सतर्कता एवं सेवा भाव के साथ निरंतर कार्यरत है, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु अपनी धार्मिक यात्रा सुरक्षित एवं सुगमता से पूर्ण कर सके।

दिनांक- 03.08.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस का सेवा एवं समर्पण का सराहनीय प्रयास, थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा कांवड़ शिविर में श्रद्धालुओं को फल एवं चिकित्सीय सामग्री वितरित की गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी यातायात के निकट पर्यवेक्षण में कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में श्रावण मास में संचालित पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सेवा के उद्देश्य से थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा निरंतर जनसेवा के कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक ***02.08.2026*** *को थाना प्रभारी जनकपुरी* ***श्री नेमचन्द सिंह*** *के नेतृत्व में अम्बेडकर चौराहा स्थित कांवड़ शिविर में पहुंचकर कांवड़ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं से संवाद स्थापित किया गया तथा उनकी कुशलक्षेम जानी गई।*

इस अवसर पर थाना प्रभारी जनकपुरी द्वारा शिविर में उपस्थित कांवड़ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को ***फल एवं आवश्यक चिकित्सीय सामग्री*** *का वितरण किया गया, जिससे यात्रा के दौरान उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सहायता एवं ऊर्जा प्राप्त हो सके। साथ ही यात्रियों से सुरक्षित एवं अनुशासित ढंग से यात्रा करने तथा यातायात एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई।*
थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा शिविर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा, यातायात प्रबंधन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। पुलिस कर्मियों ने शिविर संचालकों एवं श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सहारनपुर पुलिस पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है तथा प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा एवं सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सहारनपुर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सेवा, सहयोग एवं मानवीय संवेदनाओं के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित, सहज एवं सकारात्मक वातावरण में अपनी धार्मिक यात्रा पूर्ण कर सकें।

दिनांक- 03.08.2026

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल (02 लैपटॉप, 06 छत के पंखे व कम्प्यूटर का अन्य सामान) बरामद

घटनाओं का विवरणः-

1. दिनाकं 14.6.26 को वादी श्री बिरम पाल सिह पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द निवासी ग्राम चंक देवली बेहट रोड जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा सरकारी स्कूल पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नौगावा से कम्प्यूटर के पार्टस व छत के पंखे चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 168/26 धारा 305(1)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 01.07.2026 को वादी श्रीमती अलका पत्नी प्रशान्त विमल ग्राम अफजलपुर पावटी, पांचली खुर्द मेरठ की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा सरकारी स्कूल राजकीय इण्टर कालेज हबीबपुर तपोवन से कम्प्यूटर के पार्टस व छत के पंखे चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 184/26 धारा 305(1)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 26.07.2026 को वादी श्री यशपाल सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम अलीपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के आम के बाग से पेड काट कर चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 209/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों में चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए **01 शातिर नकबजन अभियुक्त तैय्यब पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को कासमपुर से जसमौर जाने वाले रजवाहे पुलिया पर बैनको मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर उपरोक्त मुकदमों से सम्बन्धित चोरी का माल (02 लैपटाप acer, 01 अदद ups, 04 अदद डैस्कटाप, 01 डिजिटल स्टैरोज, 10 अदद डिजीटल मल्टीमीटर, 04 एक्टैंशन बोर्ड, 04 अदद सोल्डरिंग आयरन, 03 अदद रोल टांका लगाने का तार, 04 अदद सोल्डर रिमुवर, 03 अदद कीबोर्ड acer, 03 अदद माऊस, 01 अदद वैब कैम व 06 अदद छत के पंखे) बरामद। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरूद्ध थाना मिर्जापुर पर करीब 01 दर्जन मुकदमें दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मिर्जापुर का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तैय्यब पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *02 लैपटाप acer*
- *01 अदद ups*
- *04 अदद डैस्कटाप*
- *01 डिजिटल स्टैरोज*
- *10 अदद डिजीटल मल्टीमीटर*
- *04 एक्टैंशन बोर्ड*
- *04 अदद सोल्डरिंग आयरन*
- *03 अदद रोल टांका लगाने का तार*
- *04 अदद सोल्डर रिमुवर*
- *03 अदद कीबोर्ड acer*
- *03 अदद माऊस*
- *01 अदद वैब कैम*
- *06 अदद छत के पंखे*

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त तैय्यब) –

1. *मु0अ0स0 313/19 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
2. *मु0अ0स0 314/19 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
3. *मु0अ0स0 255/19 धारा 380/457/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
4. *मु0अ0स0 320/19 धारा 380/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
5. *मु0अ0स0 336/19 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
6. *मु0अ0स0 43/2020धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
7. *मु0अ0स0 217/22 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
8. *मु0अ0स0 337/19 धारा 411/414 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
9. *मु0अ0स0 218/22 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
10. *मु0अ0स0 219/22 धारा 420/465 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
11. *मु0अ0स0 23/2023 धारा 380/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
12. *मु0अ0स0 263/19 धारा 138 विद्युत अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री राजकुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
3. *हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
4. *का0 1879 अमित कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*

दिनांक- 03.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एंव वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **02 वारंटी अभियुक्तगण 1. शुभम पुत्र सतपाल सिह निवासी ग्राम अकबरपुर बासं थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0 2217/21 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर में ग्राम अकबरपुर बांस से व **2. माम पुत्र मामचंद निवासी ग्राम कस्बा गढ थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0 1110/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में ग्राम व कस्बा गढ से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार वारण्टी गण का नाम व पता –

1. शुभम पुत्र सतपाल सिह निवासी ग्राम अकबरपुर बासं थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. माम पुत्र मामचंद निवासी ग्राम कस्बा गढ थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. का0 1666 पंकज कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

दिनांक: 03.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से घटना में प्रयुक्त एल्युमिनियम की पट्टी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 02.08.2026 को वादी श्री नीरज शर्मा पुत्र प्रेमचन्द शर्मा निवासी गाधी कालोनी बाबा लाल दास रोड थाना मण्डी जिला सहारनपुहर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त शाहवाज पुत्र वाजिद निवासी ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पुत्र नमन को जान से मारने की नियत से लोहे की धारदार पट्टी से वार कर गम्भीर रुप से घायल करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0- 356/26 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश निर्गत किये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.08.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास मे वांछित अभियुक्त **शाहवाज पुत्र वाजिद निवासी ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को अंम्बाला रोड स्थित मारुति शौरुम के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

शाहवाज पुत्र अब्दुल वाजिद निवासी ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः -

- एल्युमिनियम की पट्टी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1399 सुमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 03.08.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 19.06 ग्राम स्मैक नाजायाज बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले ***01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त मौ0 याकूब उर्फ गुड्डू पुत्र सिकदार उर्फ सिकदर अहमद निवासी मौहल्ला मिर्धान फरीदपुर थाना फरीदपुर जिला बरेली*** *को रेलवे का पुराना बंद प्लेटफार्म माल गोदाम रोड थाना क्षेत्र कुतुबशेर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 19.06 ग्राम स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 357/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

मौ0 याकूब उर्फ गुड्डू पुत्र सिकदार उर्फ सिकदर अहमद नि0 मौहल्ला मिर्धान फरीदपुर थाना फरीदपुर जिला बरेली

बरामदगी -

19.06 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
4. *का0 1826 मोनू कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
5. *का0 2043 सद्दाम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 03-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गये 30 किग्रा सरसो से भरा कट्टा बरामद

घटना का विवरणः- *दिनांक 02.08.2026 को वादी श्री राहुल नौसरान पुत्र स्वर्गीय श्री कंवरपाल सिंह निवासी ग्राम बढेडी कोली थाना नागल जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर के द्वारा वादी के घर से 30 किग्रा0 सरसो से भरे हुए एक कट्टे को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नागल पर मु0अ0सं0 234/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री संजय कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नागल पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए* ***अभियुक्त अमित पुत्र सिकलू नि0 ग्राम बढेडी कोली थाना नागल सहारनपुर उम्र 40 वर्ष*** *को ब्लॉक तिराहे से गागलहेडी को जाने वाले रास्ते पर अण्डरपास के नीचे से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार* ***अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना नांगल पर करीब डेढ दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत है।*** *गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरण- *अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मै नशे करने का आदी हूँ तथा नशे की लत के कारण मै अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मै घरो से छोटी-मोटी चोरी करता हूँ। दिनाँक 02.08.26 को भी मैने बढेडी कोली के एक घर से सरसो का भरा हुआ एक कट्टा चोरी किया था तथा आज मै उसे बेंचने की फिराक मे ग्राहक की तलाश में घूम रहा था।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमित पुत्र सिकलू निवासी ग्राम बढेडी कोली थाना नागल जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

30 किग्रा0 सरसो से भरा हुआ प्लास्टिक का एक कट्टा

आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 234/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नागल*
2. *मु0अ0सं0 31/19 धारा 379/411 भादवि थाना नागल*
3. *मु0अ0सं0 114/19 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नागल*
4. *मु0अ0सं0 137/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना नागल*
5. *मु0अ0सं0 23/2012 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नागल*
6. *मु0अ0सं0 85/2011 धारा 18/20 एनडीपीएश एक्ट थाना नागल*
7. *मु0अ0सं0 107/2012 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नागल*

8. मु0अ0सं0 103/2005 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नागल
9. मु0अ0सं0 145/2005 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नागल
10. मु0अ0सं0 11/2007 धारा 60 आब0 अधि0 थाना नागल
11. मु0अ0सं0 39/2007 धारा 110जी सीआरपीसी थाना नागल
12. मु0अ0सं0 50/2007 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नागल
13. मु0अ0सं0 151/2007 धारा 110जी सीआरपीसी थाना नागल
14. मु0अ0सं0 82/2009 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नागल
15. मु0अ0सं0 202/2009 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट
16. मु0अ0सं0 203/2009 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नागल
17. मु0अ0सं0 224/2010 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नागल
18. मु0अ0सं0 390/2010 धारा 60 आब0 अधि0 थाना नागल
19. मु0अ0सं0 391/2010 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नागल
20. मु0अ0सं0 155/2012 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नागल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना नांगल सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नवीन जयन्त थाना नागल सहारनपुर
3. है0का0 914 रणजीत सिंह थाना नागल सहारनपुर
4. का0 2337 कृष्णा गोपाल थाना नागल सहारनपुर

दिनांक: 03.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा आत्महत्या के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *दिनांक 01.05.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सलीम, शबा, मुत्तलिब निवासी गोटे शाह गली नं0- 02 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की तहेरी बहन की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 201/26 धारा 103(1) बीएनएस के पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान मृतका की whatsapp चैट व अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त* ***अब्दुल वाहिद पुत्र शाहिद निवासी बमियाला थाना नकुड जनपद सहारनपुर हाल निवासी आली की चुंगी गली नं0 11 शाबरी का बाग थाना मण्डी सहारनपुर*** *का नाम प्रकाश मे आया व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 103(1) बीएनएस का विलोप कर धारा 108 बीएनएस की बढोतरी की गई।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए विवेचना से प्रकाश में आये* ***वांछित अभियुक्त अब्दुल वाहिद पुत्र शाहिद निवासी बमियाला थाना नकुड जनपद सहारनपुर हाल निवासी आली की चुंगी गली नं0 11 शाबरी का बाग थाना मण्डी सहारनपुर*** *को आले की चुंगी से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अब्दुल वाहिद पुत्र शाहिद निवासी बमियाला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर हाल निवासी आली की चुंगी गली नं0 11 शाबरी का बाग थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *प्र0नि0 श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *का0 1065 अनुजपाल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *रि0का0 1256 प्रमोद कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*

दिनांक 03.08.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

मादक पदार्थ तस्करी पर कोतवाली बडगांव पुलिस का करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 510 ग्राम अवैध चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।*

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन सवेरा""** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी बडगांव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.08.2026 को चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त बुद्दराम पुत्र सुरजन निवासी ग्राम भगता थाना रामपुरा फूल जिला भटिण्डा पंजाब** को मौरा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **510 ग्राम चरस बरामद हुई।** गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 192/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बुद्दराम पुत्र सुरजन निवासी ग्राम भगता थाना रामपुरा फूल जिला भटिण्डा पंजाब

बरामदगी का विवरण-

- *510 ग्राम चरस*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री संदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।*
3. *हे0कां0 521 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।*
4. *कां0 1198 अनिल कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।*
5. *कां0 95 विकास थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।*